कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री गर्ग ट्रेडर्स, मोरगंज, सहारनपुर ।**

प्रा0प0सं0— **434 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री नरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 31–12–08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा सूखा जटा नारियल पर करदेयता के सम्बन्ध में निम्न तीन प्रश्न पूछे गये हैः–

निम्नलिखित पॉच प्रश्नों पर कर की दर की जानकारी चाही गयी हैः–

।– क्या सूखा जटा नारियल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के शिडयूल–। की प्रविष्टि क्रमांक –4। में पूजा एवं हवन में प्रयोग आने वाली सामग्री में सम्मिलित होने के कारण करमुक्त है?

2– क्या सूखा जटा नारियल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के शिडयूल–। की प्रविष्टि क्रमांक –162 के अन्तर्गत करमुक्त है?

3– क्या ैम्छ ब्वकमे ॅपजी ।सइिमजपबंस ेबीमकनसमे ंदक त्नसम के ैण्छव्ण 162 के अन्तर्गत सूखा जटा नारियल कोपरा एवं गोले के बुरादे को छोड़ कर ँिमसस सहित कोकोनट एवं कोकोनट से अलग किये गये उसके अन्दर नरम गिरी ख् ज्ञमतदमस, के अन्तर्गत करमुक्त है?

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–। की क्रम संख्या–41

41	Incense sticks commonly known as agarbati, dhupkathi or dhupbatti, hawan samagri including dhoop agarbatti, sambrani or lohbana, **rudraksh, rudraksh mala, tulsikanthi mala.**

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या–2898दिनांक 31–।–09द्वारा डिप्टी कमिश्नर, खण्ड–6, सहारनपुर के पत्र संख्या 101। दिनांक 27–।–09 व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)के पत्र संख्या– 3540 दिनांक 28–1–09 संलग्न कर आख्या प्रेषित की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है व्यापारी की वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–। की क्रम संख्या–41 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है तथा नारियल एवं गोले से सम्बन्धित दो प्रविष्टियॉ वैट अधिनियम की अनुसुची–। व अनुसुची–2 के भाग–क में उपलब्ध है !

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–। की क्रम संख्या–35 की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

35	Tender green coconut;coconut containing water.

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2 की क्रम संख्या–32 की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

32	Coconut in shell & separated kernel of coconut other than kopra.

आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि सूखा जटा नारियल का प्रयोग पूजा में तो होता है परन्तु उक्त नारियल को हवन सामग्री के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है।अतः वैट अधिनियम की अनुसुची –। में हरा नारियल एवं पानी वाला नारियल आता है अतः सूखा जटा नारियल न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–। की क्रम संख्या–35में आता है और न ही उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–। की क्रम संख्या–41 में आता है । यह भी बताया गया कि वैट अधिनियम की अनुसुची–2–क की क्रम संख्या–32 में भी उक्त सूखा जटा नारियल नहीं आता है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री नरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये यह बताया गया कि सूखा जटा नारियल का प्रयोग केवल पूजा में ही होता है । अतः इसे हवन सामग्री के अन्तर्गत वैट अधिनियम की अनुसुची–।–के क्रमांक–41 के अन्तर्गत करमुक्त होना चाहिए ।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या का परिशीलन किया गया तथा यह पाया गया कि सूखा जटा नारियल पूजा की सामग्री तो हो सकती है परन्तु वह वैट अधिनियम की अनुसुची –। के क्रमांक–41 के अन्तर्गत नहीं आता है। जहॉ तक प्रश्न संख्या–2 का सम्बन्ध है वैट अधिनियम की अनुसुची–। के क्रमांक–।62 के नं0 की कोई प्रविष्टि नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। जहॉ तक प्रश्न संख्या–3 का सम्बन्ध है व्यापारी द्वारा भ्ैछ ब्वकमे के बारे में लिखा गया है कि उक्त कोड भी वैट अधिनियम की अनुसुची–। में सम्मिलित नहीं है।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/20–3–09

दिनांकः: 20मार्च, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।